बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना -- 800015

दूरभाष सं0:- 0612-2217956
फैक्सः- 0612-2215611 / 2215978
ई-मेलः- ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :- 01.09.2015

आज बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 12 जिलों के साथ विडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भागलपुर एवं बॉका के जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्यालय स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अजय नायक, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, श्री अरविन्द कुमार चौधारी एवं श्री आर० लक्ष्मणन्, राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी, श्री सुनील कुमार, विधि व्यवस्था (पुलिस) नोडल पदाधिकारी श्री सुशील खोपड़े एवं निर्वाचन व्यय (पुलिस) नोडल पदाधिकारी श्री सुनील कुमार भी मौजूद थे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा तथा प्रधान सचिव श्री आर० के श्रीवास्तव द्वारा सभी जिलों से निर्वाचन से संबंधित मुख्य बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त की गई।

समीक्षा में निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची में नही छुटे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि इस क्रम में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी Proactive हो कर इस कार्य को कराये परन्तु यह भी ध्यान रखा जाये कि नाम जोड़ने अथवा हटाने के पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन अवश्य किया जाये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक deletion तथा rejection की सूचना आवेदक को अनिर्वाय रूप से देने, मतदाता पहचान पत्र का शतप्रतिशत वितरण कराने तथा इससे संबंधित शिकायतो के निवारण में व्यक्तिगत ध्यान देने और इसकी दैनिक समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

मतदान केन्द्रो पर मतदाताओं को न्यूनतम आवश्यक सुविधा यथा रैम्प (निर्धारित स्लोप को ध्यान में रखते हुये) पेयजल, पुरूष तथा महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था, बिजली (वैकल्पिक व्यवस्था के साथ) आदि की उपलब्धता की जिलावार समीक्षा की गई तथा इसे एक सप्ताह में पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। निर्वाचन से संबद्ध कर्मियों को पोस्टल बेलेट/ई०डी०सी० के माध्यम से मतदान कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु सभी जिलो द्वारा किये जा रहे उपायो की जानकारी प्राप्त करते हुये निदेश दिया गया कि सभी जिला चिन्हित न्यूनतम 10 प्रतिशत मतदान वाले मतदान केन्द्र के लिये विशेष कार्य योजना तैयार करे तथा प्रचार के सभी उपलब्ध माध्यमों का प्रयोग करते हुये मतदाता जागरूकता, Ethical voting, सतत् अद्यतीकरण जैसे विषयों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। शिकायतों के अनुश्रवण की गंभीरता को रेखांकित करते हुये उप निर्वाचन आयुक्त श्री उमेश सिन्हा द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इसकी दैनिक समीक्षा करने तथा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर शिकायतों का निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

****